प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 23.09.2026

थाना निवाडी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 15.09.2026 को थाना निवाडी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि वादिया अपने पति से काफी समय से अलग रहती आ रही थी इस दौरान अभियुक्त ब्रहमजीत द्वारा वादिया को शादी का झांसा व नशीला पदार्थ देकर शारीरिक संबंध बनाना तथा पूर्व में खीचे गये फोटो वायरल करने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर तत्काल धारा- 123/64/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 23.09.2026 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त ब्रहमजीत पुत्र दिगेन्द्र उर्फ भोले निवासी ग्राम फकाना थाना गुलावठी जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 28 वर्ष को निवोक अस्पताल से मेरठ की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि पीड़िता से मेरी दोस्ती थी। मैंने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

ब्रहमजीत पुत्र दिगेन्द्र उर्फ भोले निवासी ग्राम फकाना थाना गुलावठी जिला बुलन्दशहर, उम्र करीब 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना निवाडी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 05 मोबाईल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 23.09.2026 को थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तगण (1). सूरज त्यागी पुत्र सुरेश त्यागी निवासी भट्टा नं० 5 गढ़ी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष (2). अमिश उर्फ भानू पुत्र राजकुमार निवासी न्यू फ्रैड कालोनी सेक्टर 23 संजय नगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को चोरी के 05 मोबाईल फोन (1). एक फोन लावा कम्पनी VGA ब्लैक कलर आईएमईआई नं०i- 351553974066550, आईएमईआई नं०-ii 351553974066568 (2).एक कीपैड

फोन ब्लू कलर जिस पर X67 लिखा है ZIOX कंपनी का है जो फोन स्विच ऑफ है आन नही (3).एक वीवो कम्पनी का फोन रंग स्काई ब्लू (4).एक कीपैड फोन ब्लैक कलर जो ONZO कंपनी का है जिस पर T 100 लिखा हुआ जिसका आईएमईआई नं० 1- 356189115651656, आईएमईआई नं० 2- 356189115651664 व (5).एक वीवो कम्पनी का फोन डार्क ब्लू कलर के साथ हमतुम रोड से करीब 10 कदम दूर बिजलीघर के रास्ते पर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना पर पूर्व से ही धारा 305(ए)/317(2)/317(5) बीएनएस पंजीकृत है, तथा गिर0 अभि0गण के विरुध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि ये मोबाइल फोन हम लोग नशा करके रात्रि में गुलधर से चुराकर सस्ते दामों पर राह चलते लोगों को बेंच देते हैं। और इससे जो रूपये मिलते है वो हम लोग नशे व अन्य शौक मौज में खर्च कर देंते हैं। आज भी हम लोग मौका देखकर पुनः चोरी किये इन सभी मोबाइल फोन को राह चलते हुए लोगों को बेचने के लिये गाजियाबाद मेरठ रोड पर जा रहे थे। परन्तु आपने हम लोगो को पकड लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

(1) सूरज त्यागी पुत्र सुरेश त्यागी निवासी भट्टा नं० 5 गढ़ी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष

(2) अमिश उर्फ भानू पुत्र राजकुमार निवासी न्यू फ्रैड कालोनी सेक्टर 23 संजय नगर थाना मधुबन बापूधाम गा0बाद उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास।

गिरफ्तार अभियुक्त सूरज त्यागी उपरोक्त के विरुद्ध थाना मधुबन बापूधाम पर 06 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त अमिश उर्फ भानू उपरोक्त के विरुध थाना मधुबन बापूधाम पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

(1).एक फोन लावा कम्पनी VGA ब्लैक कलर आईएमईआई नं० 1- 351553974066550, आईएमईआई नं० 2- 351553974066568 जो थाना मधुबन बापूधाम पर पंजीकृत मु0अ0सं0-285/26 धारा 305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित है।

(2).एक कीपैड फोन ब्लू कलर जिस पर X67 लिखा है ZIOX कंपनी का है जो थाना मधुबन बापूधाम पर पंजीकृत मु0अ0सं0-285/26 धारा 305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित है।

(3).एक वीवो कम्पनी का फोन रंग स्काई ब्लू जो थाना मधुबन बापूधाम पर पंजीकृत मु0अ0सं0-285/26 धारा 305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित है।

(4).एक कीपैड फोन ब्लैक कलर जो ONZO कंपनी का है जिस पर T 100 लिखा हुआ जिसका आईएमईआई नं० 1- 356189115651656, आईएमईआई नं० 2- 356189115651664 जो थाना मधुबन बापूधाम पर पंजीकृत मु0अ0सं0-285/26 धारा 305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित है।

(5).एक वीवो कम्पनी का फोन डार्क ब्लू कलर जो थाना मधुबन बापूधाम पर पंजीकृत मु0अ0सं0-285/26 धारा 305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा फ्लैट/दुकान बुकिंग के नाम पर करोड़ो रुपये की धोखाधडी के मुकदमें में एक महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक -28.06.2026/16.07.2026 वादीगण की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 384/2026 व 428/26 में पंजीकृत धोखाधड़ी के प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्ता शिवानी त्यागी पत्नि हनी त्यागी पुत्री स्व. विपिन त्यागी उम्र करीब 30 वर्ष, मूल निवासी ग्राम रामनगर, थाना मण्डावली जनपद बिजनौर हाल निवासी गुलमोहर गार्डन SVP, फ्लैट न0 L-3/304, राजनगर एक्शटेन्शन, थाना नन्दग्राम ,गा0बाद को गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण में 10 अभियुक्तगण को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

उक्त मुकदमा M/s ASR Realtech Limited एवं M/s Right Earth Infra LLP की परियोजनाओं में फ्लैट/दुकान बुकिंग के नाम पर निवेशकों से करोड़ों रुपये लेकर धोखाधड़ी करने के आरोप में पंजीकृत है। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, बैंक खातों एवं अन्य दस्तावेजों के परीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निवेशकों से प्राप्त धनराशि गिरफ्तार अभियुक्त के बैंक खातो में भी प्राप्त हुआ है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इसकी संलिप्तता पाए जाने पर अभियुक्ता शिवानी उपरोक्त गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही का विवरण- दिनांक 28.06.2026 को थाना नन्दग्राम पर पंजीकृत धोखाधडी, कूटरचना ,गबन आदि से समबन्धित अभियोगो की विवेचनाओ मे विधिक विवेचनात्मक कार्यवाही , गिरफ्तारी / पूछताछ / साक्ष्य संकलन हेतु गठित SIT टीम मे से गिरफ्तारी टीम के अधि0/कर्म0 द्वारा मोरटा के पास से अभियुक्ता शिवानी त्यागी पत्नि हनी त्यागी पुत्री स्व.विपिन त्यागी उम्र करीब 30 वर्ष, मूल निवासी ग्राम रामनगर, थाना मण्डावली जनपद बिजनौर हाल निवासी गुलमोहर गार्डन SVP, फ्लैट न0 L-3/304, राजनगर एक्शटेन्शन,थाना नन्दग्राम,गा0बाद को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्ता का नाम व पता –

शिवानी त्यागी पत्नि हनी त्यागी पुत्री स्व. विपिन त्यागी उम्र करीब 30 वर्ष, मूल निवासी ग्राम रामनगर , थाना मण्डावली जनपद बिजनौर हाल निवासी गुलमोहर गार्डन SVP, फ्लैट न0 L-3/304, राजनगर एक्शटेन्शन , थाना नन्दग्राम ,गा0बाद,

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

एसआईटी प्रभारी/निरीक्षक श्री सतराज सिंह मय एसआईटी पुलिस टीम थाना सिहानी गेट /नन्दग्राम

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 कुण्डल पीली धातु का बरामद ।

दिनांक 22.09.2026 को थाना मसूरी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की दुकान पर आकर अपनी बातो में फंसाकर नकली कुण्डल असली के रूप में दिखाकर बदले में दुकान से सोने का कुण्डल ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर सुसंगत धारा 318(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 23.09.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाला अभियुक्त निर्मल पुत्र दीपराम उर्फ दीपचन्द निवासी ग्राम

जहागींरपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद , उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से टप्पेबाजी की घटना से सम्बन्धित एक कुण्डल पीली धातु का बरामद हुआ । उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि मैंने सुनार को अपनी बातो में फंसाकर नकली कुण्डल असली के रूप में दिखाकर दुकान से असली सोने का कुण्डल ले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

निर्मल पुत्र दीपराम उर्फ दीपचन्द निवासी ग्राम जहागींरपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

टप्पेबाजी की घटना से संबंधित 01 कुण्डल पीली धातु का बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।